

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 253/2019 दायर दिनांक 17.01.2019 (पुनः दायर 22.10.2019)

वादी	प्रतिवादीगण
1. सोहनराम पुत्र श्री जयरामाराम जाति जाट आयु 58 वर्ष निवासी-भामासी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. डूंगरराम पुत्र खेमराम आयु 80 वर्ष 1/1 सोनी देवी पत्नी डूंगरराम 1/2 भंवरलाल पुत्र डूंगरराम 2. सोहनी पत्नि कानाराम आयु 65 वर्ष 3. रामचन्द्र पुत्र कानाराम आयु 45 वर्ष 3/1 सुमित्रा पत्नी रामचन्द्र 3/2 हेमन्त पुत्र रामचन्द्र 3/3 पूजा पुत्री रामचन्द्र 3/4 सोनु पुत्री रामचन्द्र 4. छोटी पुत्री कानाराम आयु 35 वर्ष 5. विमला पुत्री कानाराम आयु 30 वर्ष 6. मोहनराम पुत्र खेमराम आयु 68 वर्ष 7. टीकूराम पुत्र केशरदेवी आयु 35 वर्ष 8. लिछमा पुत्री केशरदेवी आयु 30 वर्ष 9. किशनाराम पुत्र केशरदेवी आयु 28वर्ष 10. मन्जू पुत्री केशरदेवी आयु 25 वर्ष 11. भंवरी पुत्री जयरामाराम आयु 70 वर्ष 12. शान्ति पुत्री जयरामाराम आयु 50 वर्ष 13. रामेश्वरी पुत्री जयरामाराम आयु 45वर्ष 14. मोहनीदेवी पत्नि जीवणराम आयु 48वर्ष 15. राजेन्द्र पुत्र जीवणराम आयु 25 वर्ष 16. तेजपाल पुत्र जीवणराम आयु 19 वर्ष 17. चन्द्रकला पुत्री जीवणराम आयु 22 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण भामासी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 18. तहसीलदार, डीडवाना 19. रामप्यारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
	बनाम्

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.
संशोधित डिक्री

दिनांक 19.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो0 रफीक एवं विकास सिंवाल वकील वादीगण एवं श्री शरीफ शेरानी वकील प्रतिवादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, राजस्व ग्राम भामासी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 09 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 11 रकबा 11.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.8500 हैक्टर कुल रकबा 12.5500 हैक्टर तथा राजस्व ग्राम सिंधाना में स्थित खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 16 बीघा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा एवं रेकर्ड दुरुस्त कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक:

Wkaas
अधिकारी
डीडवाना

राजस्व/22/1981 दिनांक 25.07.2022 में वर्णितानुसार भूमि का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाकर पञ्चकारान का खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 का नाम वर्तमान खातेदारी में से हटाया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/22/1981 दिनांक 25.07.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.01.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

WRA
सहायक अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफरिंक		
हुक्मनामा					
मुतफरिंक			मिजान		
मिजान					

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

WRA
सहायक अधिकारी
डीडवाना